

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय-आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक-29.09.2019 के तहत श्रीमती निर्मला, व्याख्याता (हिन्दी), श्रीमती सरस्वती देवी मण्डा राबाउमावि, बीझबॉयला, श्रीगंगानगर का स्थानान्तरण, राबाउमावि, मटकाचौक, श्रीगंगानगर एवं श्रीमती किरण नागपाल, व्याख्याता (हिन्दी), राबाउमावि, मटकाचौक, श्रीगंगानगर से राउमावि, बाजुवाला (श्रीगंगानगर) किया गया।

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा-मा/सी-7/हिन्दी/स्थानांतरण/2019 दिनांक-09.10.2019 द्वारा श्रीमती निर्मला, व्याख्याता (हिन्दी), राबाउमावि, मटकाचौक, श्रीगंगानगर का श्रीमती सरस्वती देवी मण्डा राबाउमावि, बीझबॉयला, श्रीगंगानगर में यथावत के आदेश जारी किये गये। उक्त आदेश दिनांक-09.10.2019 के विरुद्ध श्रीमती निर्मला द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या-15579/2019 निर्मला बनाम राज्य सरकार व अन्य दायर की गई।

याचिका संख्या-15579/2019 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक-15.10.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य आदेश दिनांक-09.10.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थिया श्रीमती निर्मला के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित आदेश दिनांक-09.10.2019 की याचिकार्थिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। माननीय न्यायालय की पालना में दोहरा पदस्थापन की स्थिति उत्पन्न होने के फलस्वरूप श्रीमती निर्मला, राबाउमावि, मटकाचौक, श्रीगंगानगर में व्याख्याता (हिन्दी) के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं श्रीमती राजेन्द्र कौर का अन्तरिम समायोजन राबाउमावि, मिर्जावाला, श्रीगंगानगर के व्याख्याता (हिन्दी) के रिक्त पद पर किया जाता है। उक्त पदस्थापन/समायोजन माननीय उच्च न्यायालय के आगामी/अन्तिम निर्णय के अध्वधीन रहेंगे।



(नथमल डिडेल)

भाई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/माध्य/संस्था/सी-7/हिन्दी/स्था.को.के./निर्मला/15579/2019

दिनांक-26.11.2019

➤ प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा।
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा, श्रीगंगानगर
5. जि.शि.अ. (माध्य-विधि) जोधपुर।
6. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
7. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. संबंधित प्रधानाचार्य-
9. संबंधित कार्मिक-
10. गार्ड पंजिका।



संयुक्त-निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर